

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक-प./रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009-10/ 5776-89

दिनांक- 16-6-16

निदेशक,
ह.च.मा. रीपा,
जयपुर।

विषय- ह.च.मा. रीपा जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मध्याह्न भोजन/अल्पाहार/चाय आदि की व्यवस्था की संशोधित दरों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प./रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009-10/1976-89 दिनांक 24.05.2011 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय की ओर से ह.च.मा. रीपा जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु राजकीय सेवा में रहते हुये आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को संस्थान की ओर से मध्याह्न भोजन/अल्पाहार/चाय आदि की व्यवस्था करने हेतु निम्नांकित दरों पर व्यय करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-


क्र०स०	विवरण	प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन मैस सहित हेतु दर	मैस रहित कार्यालयों हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन दर
1.	मध्याह्न भोजन	रु.80/-	रु.80/-
2.	अल्पाहार (यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है)	"	रु.50/-
3.	चाय (दो समय)	रु.16/-	रु.16/-

उक्त मद पर व्यय निम्नांकित बजट मद से वहन किया जायेगा:-

- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।
003-प्रशिक्षण
(01)-ह.च.मा. रीपा
(02)-फर्म प्रशिक्षण
29-प्रशिक्षण भ्रमण, सम्मेलन व्यय

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति क्रमांक 101502273 दिनांक 16.06.2015 के अनुसरण में जारी की जाती है। उक्त दरें दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होंगी।


भवदीय,



(मूलचंद) 15/6/16

क्रमांक-प./रीपा/विश्रान्ति/स्टोर/2009-10/ 5776-89

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, ह.च.मा. रीपा, उदयपुर/बीकानेर/कोटा
4. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
6. लेखाधिकारी, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. रीपा जोधपुर।
8. निजी सचिव, महानिदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
9. प्रबन्धक (विश्रान्ति), ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
10. लेखाशाखा, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)
दिनांक- 16-6-16


सहायक शासन सचिव (प्रशिक्षण)